



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1031]  
No. 1031]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 13, 2006/भाद्र 22, 1928  
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 13, 2006/BHADRA 22, 1928

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय  
(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2006

का.आ. 1490(अ).—रसायनिक हथियार समझौता अधिनियम, 2000 (2000 का 34) की धारा 6 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुक्रम में तथा सं. का.आ. 821(अ) दिनांक 13 जून, 2005 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाए उन चीजों के जिन्हें इस अधिक्रमण के पूर्व हटाया या किया गया है, केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से निम्नांकित व्यक्तियों को अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्राधिकरण का निदेशक नियुक्त करती है :-

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. श्रीमती अनुराधा मान सिंह | — अध्यक्ष  |
| 2. श्री राजू शर्मा          | — निदेशक (संयुक्त सचिव, रासायनिक हथियार समझौता के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण) |
| 3. श्री ए. पी. काला         | — निदेशक (महानिदेशक, राजस्व आसूचना महानिदेशालय)                            |
| 4. श्री के. सी. मिश्रा      | — निदेशक (संयुक्त सचिव, रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग)                      |

[फा. सं. 40020/6/2005-रसा. I]

के. सी. मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petro-chemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2006

S.O. 1490(E).—In pursuance of the provisions of Sub-section (1) of Section 6 of the Chemical Weapons Convention Act, 2000 (34 of 2000) and in supersession of the number S.O. 821(E) dated the 13th June, 2005, except as respects thing done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the following persons as the Chairperson and the Director of National Authority, Chemical Weapons Convention with effect from the date the publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Smt. Anuradha Mansingh | — Chairperson  |
| 2. Shri Raju Sharma       | — Director (Joint Secretary, National Authority Chemical Weapons Convention) |

3. Shri A. P. Kala

— Director (Director General, Directorate of Revenue Intelligence)

4. Shri K. C. Misra

— Director (Joint Secretary, Deptt. of Chemicals and Petrochemicals)

[F. No. 40020/6/2005-Ch. I]

K. C. MISRA, Jt. Secy.